फ़र्द अहकाम

न्यायालय ____________________

बलजीत सिंह बनाम बलजीत सिंह

मुकदमा संख्या/वर्ष 226/2024 : ____________/20____

क्र0सं0	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	23/7/2024	वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू॰ राजस्व अधिनियम का पेश किया रिपोर्ट सरिश्ता तलब हो चुकी है पत्रावली को रजिस्टर किया जाकर बहस वकील प्रार्थी सुनी गई प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजि॰ से नाम ने बाद तामील दाखिल दफ्तर हो उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 16:04:45 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस
प्रार्थना पत्र : 226/2024
निर्णय दिनांक : 29.07.2024

1. बलतेज सिंह पुत्र बख्तावरसिंह निवासी मकान नम्बर 125 रामगली नम्बर 3 राजापार्क, जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. बलजीत सिंह पुत्र बख्तावरसिंह निवासी मकान नम्बर 125 रामगली नम्बर 3 राजापार्क, जयपुर।
2. तहसील सांगानेर जिला जयपुर सरकार के अधीन है।
3. उपतहसील बगरू उपतहसीलदार बगरू जिला जयपुर ।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम

वादी की ओर से पेश वाद का विवरण इस प्रकार है कि वाके ग्राम बालमुकन्दपुरा उर्फ नाडा तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित जमाबन्दी सम्वत् 2059–2062 अनुसार खसरा नम्बर 149 रकबा 0.5500 हैक्टयर, खसरा नम्बर 151 रकबा 0.2600 हैक्टयर, खसरा नम्बर 150 रकबा 0.2800 हैक्टयर, के रेकार्डेड खातेदार प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 के हकपूर्वाधिकारी अजमेरकौर पत्नि श्री दर्शनसिंह, गुरूपाल सिंह पुत्र श्री दर्शनसिंह, हरजीतकौर, करमजीत, शरणजीत कौर पुत्रिया श्री दर्शनसिंह हिस्सा 1/4, अजमेरकौर पत्नि श्री दर्शनसिंह हिस्सा 1/4, राधा सिंह, साधा सिंह पुत्रान अनोपसिंह हिस्सा 1/2 जाति जाट सिख थे। मद संख्या 1 मे वर्णित भूमि खसरा नम्बर 151 रकबा 0.2600 हैक्टयर के हिस्सा 1/2 के खातेदार अजमेरकौर पत्नि श्री दर्शनसिंह, गुरूपाल सिंह पुत्र श्री दर्शनसिंह, हरजीतकौर, करमजीत, शरणजीत कौर पुत्रिया श्री दर्शनसिंह से जरिये पंजीकृत विकय पत्र प्रार्थी संख्या 1 बलतेजसिंह पुत्र बख्तावरसिंह द्वारा दिनांक 11.06.2003 को कय किया, विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 22 दिनांक 20.02. 2004 स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2059–2062 मे अमल किया गया। मद संख्या 1 में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 149 रकबा 0.5500 हैक्टयर, खसरा नम्बर 150 रकबा 0.2800 हैक्टयर के हिस्सा 1/2 के खातेदार अजमेरकौर पत्नि श्री दर्शनसिंह, गुरूपाल सिंह पुत्र श्री दर्शनसिंह, हरजीतकौर, करमजीत, शरणजीत कौर पुत्रिया श्री दर्शनसिंह से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र अप्रार्थी संख्या 1 बलजीतसिंह पुत्र बख्तावरसिंह द्वारा दिनांक 11.06.2003 को कय किया, विकय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 21 दिनांक 20.10.2003 स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2059–2062 मे अमल किया गया। मद संख्या 1 के वर्णित खसरा नम्बर 149 रकबा 0.5500 हैक्टयर, खसरा नम्बर 150 रकबा 0.2800 हैक्टयर, खसरा नम्बर 151 रकबा 0.2600 हैक्टयर, कुल किता 03 रकबा 1.09 हैक्टयर भूमि के शेष हिस्सा 1/2 के खातेदार काश्तकार राधा सिंह, साधा सिंह पुत्रान अनोपसिंह द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र अन्य केता पालकौर धर्मपत्नी सुरजीत सिंह ने कय किया। उक्त विकयपत्र के आधार पर हुए

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 16:04:45 IST
Reason: SelfAttested

उप-खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

नामान्तरकरण संख्या 29 दिनांक 05.11.2004 को स्वीकृत हुआ, जिसका राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी 2059–2062 मे अमल किया गया। तहसील सांगानेर के कर्मचारियों द्वारा विवादग्रस्त भूमि की आगामी चौसला 2063 से 2066 बनाते समय मद संख्या 1 मे वर्णित भूमि खसरा नम्बर 149, 150, 151 का खाता संख्या 11 कायम कर खातेदारी अप्रार्थी संख्या 1 बलजीतसिंह पुत्र बख्तावरसिंह हिस्सा 1/2 एवं श्रीमती पालकौर धर्मपत्नि सुरजीत सिंह हिस्सा 1/2 अंकित कर दिया, जबकि खसरा नम्बर 149 एवं 150 मे उक्त अनुसार संयुक्त हिस्सा अंकित किया जाना चाहिए व खसरा नम्बर 151 रकबा 0.2600 हैक्टयर की खातेदारी प्रार्थी बलतेजसिंह पुत्र बख्तावरसिंह हिस्सा 1/2 एवं श्रीमती पालकौर धर्मपत्नि सुरजीत सिंह हिस्सा 1/2 का अलग से खाता कायम किया जाना चाहिए था। जमाबन्दी 2063–2066 बनाते समय खसरा नम्बर 151 रकबा 0.2600 हैक्टयर हिस्सा 1/2 मे प्रार्थी का नाम जमाबन्दी मे दर्ज करने से सहवन से रह गया तथा प्रार्थी के हिस्सा 1/2 के स्थान पर अप्रार्थी संख्या 1 का नाम अंकित कर दिया, जो आगामी चौसाला मे उक्त इन्द्राज बदस्तूर चला आता रहा। उक्त गलत इन्द्राज के आधार पर अप्रार्थी संख्या 1 ने खसरा नम्बर 151 मे अपना 1/2 हिस्सा अन्य खसरा नम्बर 149, 150 के साथ शेष हिस्सा 1/2 के सहकाश्तकार से आपसी सहमति से तहसीलदार के समक्ष उपस्थित होकर विभाजन करवा लिया तथा उक्त विभाजन के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 144 दिनांक 08.07.2020 को तस्दीक होकर अप्रार्थी संख्या 1 के नाम खसरा नम्बर 151 के बाद विभाजन खसरा नम्बर 458/151 रकबा 0. 1158 हैक्टयर कायम कर खातेदारी मे अंकित किया गया, जो इन्द्राज जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 में अंकित है। उक्त राजस्व रिकॉर्ड अप्रार्थी संख्या 1 के नाम होने की प्रार्थी को जानकारी पूर्व में कभी नही रही तथा आगामी चौसाला मे भी प्रार्थी का नाम दर्ज नही होकर केवल अप्रार्थी संख्या 1 का नाम दर्ज चलता आ रहा है। अभी वर्तमान में उक्त भूमि खसरा नम्बर 151 की ऑनलाईन जमाबन्दी देखने पर प्रार्थी को इस बाबत् जानकारी हुई कि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 151 रकबा 0.2600 हैक्टयर हिस्सा 1/2 प्रार्थी का नाम दर्ज होने से रह गया। जिस पर प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 से बातचीत की, तब अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी के नाम खसरा नम्बर 458/151 रकबा 0. 1158 हैक्टयर भूमि प्रार्थी के नाम दुरूस्त करवाने बाबत् सहमत हो गया। अप्रार्थी संख्या 1 ने उपतहसील के समक्ष उपस्थित होकर प्रार्थी का नाम दुरूस्त करवाने बाबत् आवदेन पेश किया, लेकिन उपतहसीलदार द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर दुरूस्ती करवाने बाबत् कहा। इस पर प्रार्थना पत्र बाबत् दुरूस्ती हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत है। खसरा नम्बर 151 रकबा 0.2600 हैक्टयर, जिसके बाद विभाजन कायम खसरा नम्बर 458/151 रकबा 0.1158 हैक्टयर के हिस्से 1/2 पर प्रार्थी निरंतर काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग करता आ रहा है। तहसील कारकूनान द्वारा प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 151 रकबा [illegible] हैक्टयर हिस्से 1/2 की भूमि मे प्रार्थी का नाम दर्ज नही कर अप्रार्थी [illegible] दिया जिसका की उन्हें कोई अधिकार नही [illegible] द्वारा किया गया कार्य क्षेत्राधिकार के विपरीत किया गया है। इस प्रकार प्रार्थी स्वयं की खातेदारी की भूमि में अपना नाम दुरुस्त करवाने के अधिकारी है। वर्तमान खसरा नम्बर 151 के बाद विभाजन के आधार पर बने नये खसरा नम्बर 458/151 रकबा 0.1158

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 16:04:45 IST
Reason: SelfAttested

उप–खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

हैक्टयर प्रार्थी के हक व हिस्से मे आयी है, परन्तु सहवन से पूर्व मे हुये चौसाला मे क्लेरिक्ल त्रुटि के कारण प्रार्थी का वर्तमान जमाबन्दी मे नाम दर्ज नही होकर अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से ही दर्ज है। उपरोक्त आराजीयात ग्राम बालमुकन्दपुरा उर्फ नाडा तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित होने के कारण माननीय न्यायालय को भू–अभिलेख अधिकारी की शक्तियां होने के कारण प्रार्थना पत्र सुनवाई का अधिकार प्राप्त है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर इस आशय की दुरूस्ती की जावे कि ग्राम बालमुकन्दपुरा उर्फ नाडा तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित भूमि खसरा नंबर खसरा नम्बर 458/151 रकबा 0.1158 हैक्टयर भूमि मे अप्रार्थी संख्या 1 बलजीत सिंह पुत्र बख्तावर सिंह का नाम डिलीट किया जाकर प्रार्थी बलतेज सिंह पुत्र बख्तावर सिंह का नाम दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें तथा इसी अनुसार उपरोक्त खसरा नम्बर 458/151 रकबा 0.1158 हैक्टयर के राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का नाम दुरूस्त किये जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 2 उपतहसीलदार तहसील बगरू को आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

हमने बहस प्रार्थी अधिवक्ता पर मनन किया तथा पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात जमाबन्दी सम्वत् 2059–62 अंकित खातेदारान द्वारा ग्राम बालमुकुन्दपुरा उर्फ नाडा में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 149, 150, 151 कुल किता 3 कुल रकबा 1.09 हैक्टेयर के खातेदार अजमेरकौर पत्नी दर्शन सिंह, गुरूपाल सिंह, हरजित सिंह, पुत्रान् दर्शन सिंह एवं करमजी कौर, शरणजीत कौर पुत्रीयान् दर्शन सिंह हिस्सा 1/2 द्वारा प्रार्थी के हक में खसरा नम्बर 151 रकबा 0.26 हैक्टेयर हिस्सा 1/2 का बैचान जरिये विक्रय पत्र 11.06.2003 को किया। जिनके आधार पर नामान्तकरण संख्या 22 दिनांक 20.02.2004 को प्रार्थी के हक में तस्दीक हुआ है। इसी प्रकार उपरोक्त खातेदारान द्वारा खसरा नम्बर 150 रकबा 0.28 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 149 रकबा 0.55 हैक्टेयर में हिस्सा 1/2 का बैचान अप्रार्थी संख्या 1 बलजीत सिंह पुत्र बख्तावर सिंह को दिनांक 11.06.2003 को किया। जिसका नामान्तकरण संख्या 21 दिनांक 20.10.2003 को स्वीकृत हुआ। उक्त दोनो नामान्तकरण के अंकन का जमाबन्दी सम्वत् 2059–62 में नोट अंकित है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पश्चात्वर्ती जमाबन्दी सम्वत् 2063–66 में खाता संख्या 11 में उक्त अंकित तीनो खसरा नम्बरान् क्रमशः 149, 150, 151 में अप्रार्थी बलजीत सिंह पुत्र बख्तावर सिंह हिस्सा 1/2 अंकित कर दिया है जि[illegible] है कि तहसील सांगानेर के कर्मचारियों द्वारा आगामी चौसाला जमाबन्दी [illegible] 2063–66 बनाते समय लिपीकीय त्रुटी के कारण प्रार्थी [illegible] जाकर सम्पूर्ण खसरा नम्बरान् में अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी अंकित कर [illegible] अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा अपने हिस्सा 1/2 का राजस्व रिकार्ड में अंकन होने के आधार पर शेष

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 16:04:45 IST
Reason: SelfAttested

उप–खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

हिस्सा 1/2 के खातेदार पालकौर पत्नी सुरजीत सिंह उक्त दोनो खातेदार तहसीलदार के समक्ष उपस्थित होकर आपसी सहमति से विभाजन करवा कर खसरा नम्बर 151 के बाद विभाजन कायम नम्बर 458/151 रकबा 0.1158 हैक्टेयर भूमि अप्रार्थी बलजीत सिंह पुत्र बख्तावर सिंह के नाम अंकित की गई। जिसकी पुष्टि में वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 प्रार्थी ने प्रस्तुत की है।

पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात कमशः विक्रय-पत्र दिनांक 11.06.2003, नामान्तकरण संख्या 21 दिनांक 20.10.2003 एवं नामान्तकरण संख्या 22 दिनांक 20.10.2004, जमाबन्दी सम्वत् 2059-62, जमाबन्दी सम्वत् 2067-70, जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 से स्पष्ट है कि लिपिकीय त्रुटी के कारण प्रार्थी की क्रयशुदा आराजी खसरा नम्बर 151 रकबा 0.26 हैक्टेयर हिस्सा 1/2 की खातेदारी अप्रार्थी के नाम अंकित की गई। जिसके बाद विभाजन खसरा नम्बर 458/151 रकबा 0.1158 हैक्टेयर कायम होकर अप्रार्थी के नाम अंकित की गई है जो की दुरूस्त किये जाने योग्य है, फलस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम बालमुकुन्दपुरा उर्फ नाडा पटवार हल्का ठिकरिया भू०अ०नि०क्षे० ठिकरिया, तह० सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 458/151 रकबा 0.1158 हैक्टेयर भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के स्थान पर प्रार्थी बलतेज सिंह पुत्र बख्तावर सिंह के नाम दुरूस्त किये जाने के आदेश पारित किये जाते है। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार सांगानेर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 29.07.2024 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर-द्वितीय (साँगानेर),
जयपुर

उप-खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 16:04:45 IST
Reason: SelfAttested